न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 173/2013 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 सत्यनारायण दास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वा

बनाम

1 गिरधारीदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड
2 ओंकारदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवा
3 कानदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति लाड पुत्री रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जि भीलवाडा
5 श्रीमति रामु पत्नि स्व. रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जि भीलवाडा
6 गोविन्ददास पिता रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जि भीलवाडा
7 श्रीमति भाली बैवा बंशीदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलव
8 प्रेम पुत्री बंशीदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9 देबीलाल पिता सुखदेव ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री सत्यनारायण दास..............वादी स्वंय**
श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा.........विपक्षी क्रम 09 के अधिवक्ता अनुपस्थि
पैरोकार सरकार............... ......प्रतिवादी संख्या 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.05.

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद ग्राम कासोरिया पटवार हल्क कोसोरिया भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की खतौनी 373 के आराजी संख्या 821, 1459, 1479, 1952, 1953 कुल किता 05 कुल 07–12 बीघा भूमि स्थित है, जो कि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पर दर्ज है। विवेचित आराजीयात वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 0 पैतृक होकर जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 से पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के दादा व प्रतिवादी संख्या 05 के श्वसुर व प्र संख्या 06 के दादा व प्रतिवादी संख्या 07 के श्वसुर व प्रतिवादी संख्या 08 के मोहनदास पिता सुखदेव दास बैरागी के नाम पर दर्ज होकर पैत्रक आराजीयात है

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा राज.

जिसमें वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 प्रत्येक का 1/6, प्रतिवादी संख्या 04 से 06 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का 1/6 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार काबिज है तथा आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 01.07.2013 को हल्का पटवारी से राजस्व रेकार्ड की विधिवत नकले प्राप्त करने पर यह जानकारी हुई कि खतौनी संख्या 322 के आराजी संख्या 1472 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज है, किन्तु वादपत्र कि चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम दर्ज नही है। वादी के पिता मोहनदास बैरागी की मृत्युपरान्त विरासत से इंतकाल संख्या 160 दिनांक 30.10.1977 नामान्तरकरण- खोला गया जिसमें वादी का नाम दर्ज किया गया था, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवश जमाबन्दी में इसका दाखिला नही दर्ज किया। उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 07, 08 के पिता बंशीदास ने आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में अपने 1/6 हक हिस्से के बजाय 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 को बैचान कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, वादी प्रतिवादीगण के साथ साथ अपना नाम 1/6 हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 07, 08 के पिता बंशीदास बैरागी ने आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में अपने 1/6 हिस्से के बजाय 1/5 हिस्से का किया गया बिकाव नल एण्ड वोईड घोषित कराने व सम्पर्ण आराजीयात में अपना 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 सादर पारित फरमाई जावें।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 11.03.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 16.05.2014 पर विपक्षी संख्या 01, 03, 05, 06, 07, की और से वादपत्र वादी स्वीकार किये जाने में अपनी कोई उजर/आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए इसी आशय का ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 09 की और से अधिवक्ता श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया, तथा सुनवाई दिनांक 28.12.2016 को जवाबदावा प्रस्तुत होकर रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण मे 03 तनकियात कायम की गई। बाद तनकियात कायमी वादी पक्ष को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदत्त किया गया। वादी पक्ष द्वारा गवाह के बतौर सत्यनारायण पिता मोहनदास बैरागी के साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिशल किये गये तथा प्रकरण मे साक्ष्य वादी से विपक्ष द्वारा जिरह की स्टेज नियत की गई। प्रकरण लोक अदालत शिविर मुकाम कोसोरि[illegible] न्याय आपके द्वारा 2018 पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत हुआ। प्रकरण मे शिविर

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

कार्यक्रम ने मेरिट के आधार पर अवलोकन किया गया। प्रकरण मे 03 तनकियात कायम होकर बाद विश्लेषण निम्नानुसार निर्णित की गई।

तनकी संख्या 01:– आया वादी ग्राम कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया तहसील बनेडा की आराजी नं0 821, 1459, 1479, 1952, 1953 कुल किता 5 रकबा 07–12 बीघा वादी एंव प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात होने से वादी का नाम विवादित आराजीयात में 1/6 हक हिस्सा प्रतिवादीगण के साथ बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज करा घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

(बजिम्मे वादी)

तनकी संख्या 02:– आया वादी ग्राम कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया तहसील बनेडा की आराजी नं0 821, 1459, 1479, 1952, 1953 कुल किता 5 रकबा 07–12 बीघा वादी के उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट उत्पन्न नही करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

(बजिम्मे वादी)

तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण के जिम्मे रखा गया। प्रकरण मे प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 160 निर्णय दिनांक 30.10.1977 से सिद्ध हैं कि विवादित आराजीयात में मोहनदास पिता सुखदेव बैरागी की मृत्युपंरान्त विरासत से अन्य सहखातेदारों के साथ साथ वादी सत्यनारायण बैरागी का नाम भी दर्ज किया गया था, एंव प्रतिवादीगणों की और से प्रस्तुत ईकबालिया जवाबदावा से भी वादी के वादपत्र समर्थन मिलता है।

अतः तनकी संख्या 01, 02, ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 03:– आया वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया तहसील बनेडा की आराजी नं0 821, 1459, 1479, 1952, 1953 कुल किता 5 रकबा 07–12 बीघा में से आराजी संख्या 1479 प्रतिवादी संख्या 09 खातेदार स्व0 बंशीदास पिता मोहनदास बैरागी का 1/5 सम्पूर्ण हक हिस्सा सद्भावी क्रेता के रूप में सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर मकान निर्माण कर रहवास कर रहा है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

(बजिम्मे प्रतिवादी क्रम 09)

तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 09 के जिम्मे रखा गया। इस तनकी का विश्लेषण करने पर प्रकरण मे प्रर्दश दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 की खतौनी संख्या 373 में नामान्तरकरण संख्या 1655 दिनांक 20.08 2011 से सपष्ठ हैं कि आराजी नम्बर 1479 मे से 00–05 बिस्वा में प्रतिवादी गण संख्या 7, 8 के पिता/पति बंशीलाल बैरागी ने 1/5 हिस्सा विपक्षी क्रम 09 को बैचान

किया गया है। एंव यह एक निंविवादित तथ्य हैं कि खरीदशुदा आराजीयात 1479 में से 1/5 हिस्से पर विपक्षी कम 09 का ही आधिपत्य रहा है, जिस प्र वह मकान बना कर रह रहा हैं।

अतः तनकी संख्या 03 ब–हक प्रतिवादी संख्या 09 विरूद्ध वादी के निर्णित की जाती हैं।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर प्रर्दश दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात तनकी संख्या 01, 02 बहक वादी तथा तनकी संख्या 03 बहक प्रतिवादी संख्या 09 के पक्ष में निर्णित की जाती है। नियत शिविर में वादी की शहादत्त में गवाह वादी संख्या 01 द्वारा अपने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुतशुदा शपथपत्र पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–1 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 160, 161 व जमाबन्दी संवत 2037–40 व 2033–36 तथा चालू जमाबन्दी पर कमशः प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 का अंकन किया गया। वादी द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंकित कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि मामले में यह तथ्य स्पष्ठ किये कि वादी के पिता मोहनदास बैरागी की मृत्युपरान्त विरासत से इंतकाल संख्या 160 दिनांक 30.10.1977 नामान्तरकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम दर्ज किया गया था, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवश जमाबन्दी में इसका दाखिला नही दर्ज किया। उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 07, 08 के पिता बंशीदास ने आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में अपने 1/6 हक हिस्से के बजाय 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 को बेचान कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, वादी प्रतिवादीगण के साथ साथ अपना नाम 1/6 हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 07, 08 के पिता बंशीदास बैरागी ने आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में अपने 1/6 हिस्से के बजाय 1/5 हिस्से का किया गया बिकाव नल एण्ड वोईड घोषित कराने व सम्पर्ण आराजीयात में अपना 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 09 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेखो के तौर पर नामान्तरकरण संख्या 160, 161 व जमाबन्दी संवत 2037–40 व 2033–36 तथा चालू जमाबन्दी जो कि कमशः प्रदर्श–1,

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 है, आदि के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रमाणित है कि वास्तव में राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व रेकार्ड में भूलवश त्रूटीपूर्ण इन्द्राज किया गया है। वादी के पिता मोहनदास बैरागी की मृत्युपरान्त विरासत से इंतकाल संख्या 160 दिनांक 30.10.1977 नामान्तरकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम दर्ज किया गया था यह रेकार्ड देखने से स्पष्ठ है किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवश जमाबन्दी में इसका दाखिला नही दर्ज किया। उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 07, 08 के पिता बंशीदास ने आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में अपने 1/6 हक हिस्से के बजाय 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 09 को बैचान कर दिया है। यहां प्रतिवादी संख्या 09 जो कि विवादित आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा में से 1/5 हक हिस्से का सद्भाविक केता है एंव यह एक निर्विवादित तथ्य हैं कि खरीदशुदा आराजीयात 1479 में से 1/5 हिस्से पर विपक्षी कम 09 का ही आधिपत्य रहा है, जिस पर वह मकान बना कर रह रहा हैं। इन तथ्यों आधारों को मध्य नजर रखते हुए वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 सहमति से प्रतिवादी संख्या 09 के हक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 सहमति से प्रतिवादी संख्या 09 के हक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कोसोरिया भु.अ. निरीक्षक क्षैत्र डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की खतौनी संख्या 373 के आराजी संख्या 821, 1459, 1952, 1953 कुल किता 04 कुल रकबा 07–08 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के साथ साथ वादी का नाम 1/6 हक हिस्से तक बतौर सह खातेदारी से दर्ज किये जाने के तथा आराजी संख्या 1479 रकबा 00–05 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 07 ,08 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर प्रतिवादी कम 09 को 1/5 हक हिस्से तक व शेष हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को बतौर सह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादी एंव प्रतिवादीगण एक दुसरे के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से उभयपक्षों को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा, राज.

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुख कालोलिया में सरे ईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम कासोरिया तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 173/2013 राजस्व वादपत्र

अनवान

1. सत्यनारायण दास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1. गिरधरदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. शंकरदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. कान्हदास पिता मोहनदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती लाड पुत्री रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलव
5. श्रीमती रमु पत्नि स्व. रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जि भीलवाडा
6. गोविन्ददास पिता रामचन्द्र दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलव
7. श्रीमती भाली बेवा बंशीदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. प्रेम पुत्री बंशीदास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. देबीलाल पिता सुखदेव ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– **श्री सत्यनारायण दास..............वादी स्वंय**
श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा.........विपक्षी क्रम 09 के अधिवक्ता अनुपस्थित
पैरोकार सरकार............... ......प्रतिवादी संख्या 10

दिनांक 18.05.2

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 सहमति से प्रति संख्या 09 के हक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कासोरिया पटवार हल्का क्षेत्र कोसोरिया भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेडा जि भीलवाडा की खतौनी संख्या 373 के आराजी संख्या 821, 1459, 1952, 1953 कुल किता कुल रकबा 07–08 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के साथ साथ वादी नाम 1/6 हक हिस्से तक बतौर सह खातेदारी से दर्ज किये जाने के तथा आराजी संख्या 1 रकबा 00–05 बिस्वा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 07 ,08 का नाम विलोपित कर उनके स्थान प्रतिवादी क्रम 09 को 1/5 हक हिस्से तक व शेष हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लग 06 को बतौर सह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इ साथ ही वादी एंव प्रतिवादीगण एक दुसरे के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अ रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से उभयपक्षों को पांबद किया जात मुताबिक निर्णय अंन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा आदेशित किया जाता है।

यह डिकी आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार शिविर मुकाम कासोरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी